फर्द अहकाम

रतनलाल बनाम श्योजी

नाम न्यायालय सी.ओ.

केस संख्या प्रवा/254/17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	5/3/24	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। वकील उपस्थित नहीं। तहसीलदार सांगानेर से [illegible] प्राप्त [illegible] रिपोर्ट [illegible] वादी का वाद [illegible] किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] पत्रावली [illegible] निर्णय आज दिनांक 5/3/24 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। Chweep- सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय
	5/4/24	प्रार्थीगण की ओर से पुनर्विलोकन प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 229 राज0 काश्तकारी अधि. सपठित आदेश 47 नियम 01 व्य.प्र.सं. पेश किए जाने पर पत्रावली बराए बहस की आज सुनवाई हेतु नियत की गई। उक्त निर्णय में खसरा नंबर 1243/1338-2 का खसरा नंबर 224 0.25 हेक्टेयर व भूमि खसरा नंबर [illegible] खसरा 1.88 हेक्टेयर में (कमला देवी का 1/15 हिस्सा) अर्थात सम्पूर्ण 2.13 हेक्टेयर में वादीगण का 1/60-1/60 हिस्सा अंकित किया जाना है शेष हिस्सा पूर्वानुसार रहेगा) वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी जाकर निर्णय का मय जमाबंदी अवलोकन किया गया। उक्त खसरा नंबरों जमाबंदी में कमला देवी पत्नी श्योजीराम का हिस्सा 1/15 अंकित था। लेकिन जमाबंदी में Chweep- सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

फर्द अहकाम

रतनलाल बनाम श्योजीराम वगै.

न्यायालय AC-II

संख्या शवा- 24/2017

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	Contd..	वादीगण सं. 1 से 4 को 1/4 हिस्से प्रस्तावित किया गया है जो राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी से भिन्न है जिसे दुरुस्त किया जाना उचित समझते हैं चूंकि इस परिवर्तन से वादीगण का हिस्सा पूर्व आदेश दिनांक 4/3/24 की अपेक्षा कम हो रहा है तथा किसी भी अन्य पक्षकार को कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो रहा है, राजस्व रिकॉर्ड का मिलान कर लिया गया है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पारित अन्तिम निर्णय में प्रस्तावित कुर्रेजात में खसरा नंबर 1243/1338 रकबा 0.25 हेक्टेयर में प्रत्येक वादीगण को 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/60 हिस्सा शेष हिस्सा बदस्तूर व खसरा नंबर 774 रकबा 1.88 हेक्टेयर में प्रत्येक वादीगण को 1/4 हिस्से के स्थान पर 1/60 हिस्सा अंकित कर शेष हिस्सा पूर्वानुसार अंकित किया जावे। तदानुसार निर्णय व कुर्रेजात में संशोधन करें। निर्णय आज दिनांक 04/4/2024 को खुले इजलास सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर ... द्वितीय	